न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 392 / 17</u> संस्थापन दिनांक:-12.12.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

- श्याम इवने पिता खडक सिंह 1. उम्र 22 वर्ष, निवासी बाकुड थाना सारणी जिला बैतूल (म.प्र.)
- अमृतलाल पिता ब्रजलाल धुर्वै 2. उम्र ६१ वर्ष, निवासी काजलीढाना

-: (नि र्ण य) :--

(आज दिनांक 19.12.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त श्याम इवने के विरूद्ध धारा 279, 429 भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 03.11.2017 को समय दोपहर 02.00 बजे स्थान ६ ीआम पुलिया के पास, बोरी सारणी रोड आमला पर द्वेक्टर क्रमांक एमपी 48ए 7771 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त द्रेक्टर को बिना लाईंसेंस के चलाया एवं अभियुक्त अमृतलाल पर धारा 5 / 180, 146 / 196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 03.11.2017 को समय दोपहर 02.00 बजे स्थान स्थान घीआम पुलिया के पास, बोरी सारणी रोड आमला पर द्रेक्टर क्रमांक एमपी 48ए 7771 को बिना अनुज्ञप्ति धारक श्याम को चलाने को दिया एवं उक्त देक्टर बिना बीमा के चलवाया।
- अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.11.2017 को फरियादी की चाची सुखवती ने जानवर चराने सारणी तरफ गए थे। सुखवती ने उसे यह बताया कि एक नीले रंग के द्रेक्टर ने टक्कर मार दिया, जब जानवर रोड पार कर रहे थे। द्रेक्टर क्रमांक एमपी 48ए 7771 के चालक ने द्रेक्टर तेज व लापरवाही से चलाकर जानवरों को टक्कर मार दी जिससे उसके घर के एक

गाय, दो बकरे, दो बकरी और एक बकरी को चोट लग गई। द्रेक्टर चालक मौके पर ही ट्रेंक्टर को छोड़कर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में श्याम इवने के विरूद्ध अपराध क. 569/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान जानवरों का शव परीक्षण एवं चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से द्रेक्टर कमांक एमपी—48—ए—7771 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त श्याम के पास झ्रायविंग लायसेंस न होने से धारा 279, 429 तथा धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम एवं अभियुक्त अमृतलाल के विरूद्ध धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के संबंध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी झींगुर एवं अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त श्याम इवने को धारा 429 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त श्याम इवने के विरूद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/181 एवं अभियुक्त अमृतलाल के विरूद्ध लगे धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त रामिकशोर उर्फ कालू ने मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमसी—9114 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त रामकिशोर उर्फ कालू ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
- 3. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त राजेंद्र ने अपनी मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमसी—9114 को बिना अनुज्ञप्ति धारक रामकिशोर उर्फ कालू को चलाने को दिया एवं उक्त मोटर सायकिल को बिना बीमा के चलवाया ?

4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का निराकरण

- 6 झींगरु (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना किस दिनांक की है उसे याद नहीं है। घटना के समय वह अपने जानवरों को लेकर जंगल जा रहा था। तभी रास्ते में एक द्रेक्टर ने जानवरों को टक्कर मार दी। जिससे उसके दो गाय, दो बकरी और विष्णु परते का एक बकरा, दो बकरी और एक गाय चोट लगने से मृत्यु हो गयी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी—1) थाने में दर्ज करवायी थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तैयार किया था।
- 7 साक्षी विष्णु (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना किस दिनांक की है उसे याद नहीं। घटना के समय वह घर पर था। उसकी पत्नी जानवरों को लेकर जंगल गई थी। तभी रास्ते में एक देक्टर ने जानवरों को टक्कर मार दी। जिससे झींगरु दो गाय, दो बकरी और उसके का एक बकरा, दो बकरी और एक गाय चोट लगने से मृत्यु हो गयी।
- 8 उपर्युक्त दोनों साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस बात को गलत बताया है कि घटना दिनांक को घटना स्थल पर अभियुक्त ने अपने द्वेक्टर क्रमांक क्र. एमपी—48—ए—7771 को तेज व लापरवाही से चलाकर उनके जानवरों को टक्कर मार दी थी। इसके अतिरिक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में भी इस बात को सही बताया है कि घटना के समय द्वेक्टर कौन चला रहा था उन्हों नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी झींगरु (अ.सा.—1) एवं विष्णु (अ.सा.—2) ने घटना दिनांक को कथित द्वेक्टर अभियुक्त द्वारा चलाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

9 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त श्याम इवने के द्वारा द्वेक्टर क. एमपी—48—ए—7771 को चलाया गया। तब ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त के द्वारा वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया गया तथा अभियुक्त अमृतलाल ने अपना द्वेक्टर बिना लायसेंस धारी को चलाने को दिया। जब प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा कथित द्वेक्टर को चलाया गया तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा द्वेक्टर को

उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः अभियुक्त श्याम इवने को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं धारा 3/181, तथा अभियुक्त अमृतलाल को धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 10 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।
- 11 प्रकरण में जप्तशुदा वाहन द्रेक्टर क. एमपी—48—ए —7771 उसके पंजीकृत स्वामी अभियुक्त अमृतलाल पिता ब्रजलाल इवने को प्रदान की जावे।
- 12 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)